are able to meet up their demand by imported wood ;

(f) whether it is a fact that most of the licences and quotas are held by political leaders themselves or by their families ; and

(g) whether Government would consider conservation of forests in this State too and do away with the quota system under the guise of which reckless felling of trees goes in the State in excess of the quota which can well be verified with the production figures of such plywood factories ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) As per information provided by State Government, at present, there are 130 wood based industries in Arunachal Pradesh.

(b) Subject to silvicultural availability, in general, annual quota of timber allocated to forest-based industries in the State is given as under :—

S No.	Industry	Timber allocated (in Cu. M.)
1.	Plywood mill	4,000
2.	Saw cum Veneer mill	1,715
3.	Saw mills	Nil

(c) Timber supplied to wood based Industries in the State during the last three years is given as under :—

S. No.	Year	Timber supplied to Industries (in Cu. M.)
1.	1990-91	71,900
2.	1991-92	70,700
3.	1992-93	86,900

(d) and (e) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(f) Licences for wood-based industries are granted on the basis of feasibility studies, entrepreneurship, financial capability and technical expertise available with the applicants. Relationship of some licencees with political leaders of their families cannot be ruled out.

(g) The State Government have informed that their reserve forests, Sanctuaries, National parks and Bio-Sphere reserve etc., which constitute 40% of their total forest area, are covered under working plans prepared on the basis of Scientific forestry principles. More and more areas are being brought under legal protection by notifying them as reserve forests. Forest Conservation Act, 1980 and Wild Life (Protection) Act, 1972 are being strictly enforced and various schemes of afforestation are being implemented in the State. They have further informed that it is not correct to say that reckless felling is allowed in the State and that strict action is taken against the industries and individuals found involved in illegal felling of trees.

बड़ी बांध परियोजनाओं का डूब-क्षेत्र

4565. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़ी बांध परियोजनाओं के डूब-क्षेत्र में कितनी वन भूमि आ रही है;

(ख) क्या डूब-क्षेत्र में आने वाले वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो वृक्षों के सड़ने से जल को प्रदूषित होने से बचाने तथा उससे मछुआरों के जीवन को उत्पन्न होने वाले खतरों से बचाने के लिये क्या-क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद देश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये अधिनियम के तहत 1.03 लाख हैक्टेयर वन-भूमि को उपयोग में लाने की मंजूरी दी गई है।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन-भूमि को उपयोग में लाने की मंजूरी देते समय बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे तक डूब में आने की संभावना वाले क्षेत्र से पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वृक्षारोपण कार्यक्रम

4566. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वृक्षारोपण-कार्यक्रम पर मवेशियों की चराई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) वृक्षारोपण को मवेशियों की चराई से अब तक कितना नुकसान हुआ है और क्या वन-विभाग द्वारा इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) इस नुकसान से बचने के लिये वन विभाग द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या इस संबंध में वनों के निकटवर्ती गांवों में बकरी-पालन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) अनियमित चराई से वनीकरण कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) अनियमित चराई से वृक्षारोपण को पहुंची क्षति की सीमा प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है जोकि गांवों में पशुओं की संख्या तथा चरने के लिए बाहर से आने वाले पशुओं की संख्या पर निर्भर करती है। चराई के कारण वृक्षारोपण को पहुंची क्षति की सीमा ठीक-ठीक निर्धारित करने के लिए कोई अखिल भारतीय मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) राज्य वन विभाग रोपण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बाड़ लगाकर और पशु-रोधी खंदकें खोद कर उन्हें चराई से पहुंचने वाली क्षति से बचाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त, जिन क्षेत्रों में वनों का विनाश हुआ है उनकी सुरक्षा में ग्रामीण लोगों को इस आधार पर शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिन क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास करने में वे सहमत होंगे उससे प्राप्त होने वाली वनोपज पर उनका भी अधिकार होगा।

(घ) जी, नहीं।

देश में वनों में वृक्षों की अवैध रूप से कटाई

4567. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन विभाग को वृक्षों की कटाई का अधिकार दे दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में वन विभाग लकड़ी काट कर उसे वन उत्पाद के रूप में बेचते हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह विभाग सवाई माधोपुर के वन रेंज तथा मडरापल, मोसलपुर और धौलपुर के वन विहार तथा राम सागर और झिरी वन से लकड़ी काट कर उसे ऊंटों की मदद से ले जाता है अथवा वहां से लकड़ी/इमारती लकड़ी चोरी-छिपे ले जायी जाती है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में मौके पर कोई जांच कराये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य वन विभागों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे कार्यकारी योजनाओं/प्रबंध योजनाओं के तहत अनुमोदित